न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय एफ.आर. दर्ज नं.17/2026 एफ.आर. संख्या 01/2026, एफ.आई.आर. संख्या 11/2026 थाना **छोटीसादड़ी**	नम्बर व तारीख अहकाम या इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक: 14/03/2026

पत्रावली आज दिनांक 14.03.2026 को आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखी गई। राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।

पूर्व की आदेशिका का अवलोकन किया गया, जिससे यह प्रकट हुआ है कि दिनांक 27-02-2026 को प्रकरण के परिवादी बाबुलाल ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन (अदम वकुआ झूठ) में स्वीकार (अदम वकुआ झूठ) में लोकअदालत की भावना राजीनामा होने से कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहने का कथन किया है।

उक्तानुक्रम में, थानाधिकारी, पुलिस थाना, **छोटीसादड़ी** द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन (अदम वकुआ झूठ) में स्वीकार किया गया है। केस डायरी संबंधित पुलिस थाने को लौटायी जावे। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल-शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति,
(अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)